

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-290 / 15
संस्था0दि0 08 / 06 / 15
फाईलनं. 233504001002015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

विक्की उर्फ विकाश पिता विजय पटने, उम्र 30 वर्ष,
जाति धोबी, पेशा-नौकरी, नि0 वार्ड नं.10 आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 16 / 08 / 2016 को घोषित)

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 के तहत अभियोग है कि दिनांक 12.05.15 के 12:30 बजे फरियादिया का घर बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया, आपने अभियोक्त्र की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 323, 506 भाग-2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे जिनसे उन्हें दिनांक 16 / 08 / 16 को फरियादी सोनीबेगम के द्वारा किए गए राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी आमला को लिखित आवेदन दिया कि वह बस स्टैंड आमला वार्ड नं. 10 में रहती है उसके घरके बाजू में विक्की का घर है। वह घर पर अकेली थी उसके पति काम से खण्डवा गये है सास आसमाँ उसके कमरे में थी दोपहर 12:30 बजे उसे अकेला देखकर विक्की बुरी नियत से उसके कमरे में घुस आया और बुरी नियत से उसका बांया हाथ पकड लिया तथा झूमा झटकी करने लगा। उसने हाथ छुड़ाया और चिल्लाई तो विक्की धमकी देने लगा कि चिल्लाई तो उसे तथा उसके पति को जान से खतम कर देगा। आवाज सूनकर उसकी सास आसमाँ तथा उसकी जेठानी परवीन आ गई तो विक्की छोडकर भाग गया। झूमा झटकी से उसकी चूडी टूट कर कलाई में गडने से चोट लगी है विक्की बुरी नियत से उसके घर में घुसकर छेडछाड की है। सास एवं जेठानी के साथ थाना रिपोर्ट करने आई हूँ कार्यवाही की जावे।
- 4- फरियादी का लिखित आवेदन प्र0पी0 1 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 2 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक .278 / 15 भा.द. सं धारा- 454, 354, 506 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक

19/05/15 को नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 19/05/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या दिनांक 12.05.15 के 12:30 बजे फरियादिया का घर बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया?”

2- “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?”

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी सोनी बैगम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह घर के सामने खड़ी थी तभी पुराने विवाद को लेकर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी उसके घर में नहीं घुसा था। आरोपी ने उसके साथ झमा झटकी कर रहा था उसे धक्का दे दिया था जिसकी उसने रिपोर्ट की थी उसे लगा कि वह उसे मार देगा इसलिए उसने रिपोर्ट की थी। उसने घटना की लिखित शिकायत पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी लिखित शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस जांच करने मौके पर नहीं आई थी लेकिन मौका नक्शा प्र0पी0 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 19.05.2015 को आरोपी ने उसके घर के अंदर घुसकर बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ किया था एवं घर के अंदर ही उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस को लिखित शिकायत प्र0पी0 1 एवं रिपोर्ट प्र0पी0 2 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 4 का ए से ए भाग लेख करवाई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से उसकी मर्जी से राजीनामा हो गया है।

9- आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से बिना किसी डर दबाव के राजीनामा किया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी तो उसे लगा कि मार रहा है इसलिए उसने रिपोर्ट की थी लेकिन आरोपी ने उसके साथ बुरी नियत

से छेड़छाड़ नहीं की थी। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आई साक्ष्य से फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया हो तथा अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हो, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10- अभियोजन साक्षी आसमा (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को भा0दं0वि0 की धारा-456, 354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में जप्त चूड़ी के टुकड़े मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0